फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

अशोक बनाम रामचन्द्र

केस संख्या : प्रा. प. 30/23

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		संशोधित उनवान पेश करे तथा अप्रार्थी 1, 2 जवाब प्रा.प. पेश करे। पत्रावली संशोधित उनवान, जवाब हेतु दिनांक 27/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	27 3/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप.। प्रार्थी संशोधित उनवान और अप्रार्थी जवाब पेश करे। पत्रावली दिनांक 8/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	8 4/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र. उप.। प्रार्थी संशोधित उनवान पेश करे। अप्रार्थी 1, 2 ने जवाब पेश नहीं किया है अतः जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 16/4/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	16 4/25	पत्रावली प्रस्तुत। व.प्र. उप.। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पूरी गई। अप्रार्थी की भी बहस पूरी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजात अनुसार प्रकरण, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है अतः प्रार्थना पत्र (अस्थायी निषेधाज्ञा) धारा खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:43:28 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती सुमन चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 30/2023

1. कालूराम पुत्र डूंगाराम
2. हनुमान पुत्र डूंगाराम
3. रामनारायण पुत्र छोटू

जाति जाट निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर, जिला जयपुर।

बनाम

1. रामचंद्र पुत्र घासीराम जाति जाट निवासी ग्राम हाथोज, तहसील व जिला जयपुर।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र घीसाराम जाति जाट, निवासी ग्राम हाथोज, तहसील व जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 16.04.2025

उपस्थिति :–

1. श्री बंशीधर जाट – अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री एन.के. यादव– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके राजस्व ग्राम जयरामपुरा पटवार क्षेत्र जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या 600 के खसरा नम्बर 413 रकबा 2.91 हैक्टेयर, जिसके साबिक खसरा नंबर 244 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा थे। तथा अप्रार्थीगण के हाल खसरा नंबर 416 जिसके साबिक खसरां नंबर 245 है। यही कृषि भूमि विवादग्रस्त है। दौराने भू–प्रबंध प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 413 का नक्शा ट्रेस गत नक्शे से परिवर्तित कर तैयार कर दिया गया। जिसकी पश्चिमी सीमा पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नंबर 416 की पूर्वी सीमा लगी हुई है मौके पर प्रार्थीगण ... उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। परंतु अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की पश्चिमी सीमा ... अतिक्रमण कर कब्जा प्राप्त करना चाहते हैं। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। ... द्वारा भूमि क्रय की गई है उक्त भूमि के साथ में अन्य भूमियां खसरा नंबर 414, 415, 416 व 416/1787, 416/1786 का भी गत खसरा नंबर 245 की बाउण्ड्री में तरमीम कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। वादी के खसरा नंबर 413 जिसके साबिक खसरा नंबर 244 व अप्रार्थी के खसरा नंबर 414, 415, 416 व 416/1787, 416/1786 का भी गत खसरा नंबर 245 के अनुसार नक्शा दुरूस्ती किया जावे इसलिए यह वाद पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:43:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

अप्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से किये गये सीमांकन के आधार पर दिनांक 01.04.2023 को प्रार्थीगण की पश्चिमी सीमा पर जबरन अतिक्रमण करने की कोशिश करने से वाद कारण उत्पन्न होने से यह वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के उपरान्त अप्रार्थीगण की विधिवत जरिये रजिस्टर्ड एडी तलवी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कई अवसर देने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर दिनांक 08.04.2025 को जवाब का अवसर बंद किया गया।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का मुख्य अभिवचन रहा है कि भूप्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 413 का नक्शा ट्रेस गत नक्शे से परिवर्तित कर तैयार कर दिया गया। जिसकी पश्चिमी सीमा पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नम्बर 416 की पूर्वी सीमा लगी हुई है मौके पर प्रार्थीण काबिज काश्त है अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की पश्चिमी सीमा पर अतिकमण कर कब्जा प्राप्त करना चाहते है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, तथ्यो एवं बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अभिवचन किया है कि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की पश्चिमी सीमा पर अतिकमण करना चाहते है परन्तु प्रार्थीगण ने कब्जे के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये अर्थात प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया कब्जा साबित करने में असफल रहे है। है। फलस्वरूप दौराने बहस उल्लेखित किये गये तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, यहाँ पर प्रार्थीगण ने प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं किया है, इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया, तथ्यों के दृष्टिगत एवं प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:43:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर